न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 195/2007

सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1– श्री भैरू वल्द धूँकल कौम भॉबी सा0 गनाहेडा तहसील एवं जिला–अजमेर।

.....अप्रार्थी

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

———

उपस्थित :–

1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, राजकीय अभिभाषक

–: आदेश :–

दिनांक– 11.01.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.09.1971 को ग्राम पंचायत मुख्यालय गनाहेडा में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफास्शि के आधार पर अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा श्री भैरू पुत्र श्री धूँकल जाति भॉबी निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील व जिला–अजमेर के पक्ष में ग्राम गनाहेडा के सिवायचक हाल आराजी खसरा नं0 1945 रकबा 5–07–10 बीघा, खसरा नं0 1948 में रकबा 03–08–00 बीघा एवं खसरा नं0 1932/2025 में रकबा 07–00–00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधिविरूद्ध बताते हुए उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का संबधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोडेन्ट के नाम नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडैन्ट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये तथा जवाब नोटिस पेश किया, तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वरवक्त बहस वकील रेस्पोडेन्ट के अनुपस्थित रहने पर राजकीय अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित विवादित भूमि आवंटन प्रकिया के विपरीत होने के साथ ही सलाहकार समिति का कोरम पूरा नहीं होने के अतिरिक्त विवादित भूमि वर्किंग जमाबन्दी के खाता संख्या 417 में खसरा नं0 1945 रकबा 5–07–10 बीघा किस्म बारानी 3, खसरा नम्बर 1946 रकबा 03–08––00 बीघा किस्म बारानी–3 व खसरा नं0 1932/2025 रकबा 7–00–00 बीघा किस्म गैर मुमकिन टीबा अंकित है तथा रेस्पोडेन्ट गैर खातेदार दर्ज है। तत्पश्चात भू–प्रबन्ध अधिकारी अजमेर के द्वारा

11/1/18

जिला कलक्टर
अजमेर

तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 248 दिनांक 22.2.1991 से सम्पूर्ण खाता सिवायचक दर्ज किये जाने का अंकन है। उन्हौने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित खसरा नं 1948 रकबा 03–08–00 बिस्वा के स्थान पर खाता संख्या 417 में खसरा नं0 1946 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटित होना अंकित है। तथा खसरा नं0 1932/2025 राजस्व मानचित्र अनुसार कोई खसरा नम्बर ही नहीं है। इसी प्रकार राजस्व मानचित्र में जो खसरा नम्बर 1932 दर्शाया गया है वह पुष्कर–पीसांगन सडक के खसरा नम्बर है। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि खसरा नं0 1946 बिना किसी आदेश के रेस्पोडेन्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने, खसरा नम्बर 1932/2025 का राजस्व मानचित्र में कोई अस्तित्व नहीं होने के साथ ही साबिक एवं हाल अभिलेख व मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नं0 1946 का कुल रकबा मात्र 00–05–00 बीघा है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दर्ज आवंटित खसरा नम्बर 1946 का रकबा 03–08–00 बीघा का अंकन होने से रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विवादित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षैत्र से लगती हुई होने से मेला प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जाती है। खसरा नम्बर 1948 रकबा 03–08–00 बीघा में से 01–07–05 बीघा भूमि अजमेर–पुष्कर रेलमार्ग हेतु अवाप्त हो चुकी है, तथा इससे लगता हुआ खसरा नं0 1937/2025 में से 13–17–15 बीघा भूमि रेल्वे स्टेशन एवं यार्ड हेतु अवाप्त की जा चुकी है। अन्त में उन्हौने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला क्षैत्र में होने से कुछ भू–भाग रेल्वे- विभाग के पक्ष में रेल मार्ग हेतु अवाप्त होने के फलस्वरूप रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुए विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज की जावें।

हालांकि वरवक्त बहस वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित नहीं थें, किन्तु न्यायहित में उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन झूंठे एवं मनगढन्त है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नियमानुसार पूर्ण विधिक प्रकिया पश्चात विवादित भूमि का आवंटन किया जाकर मौके पर आंवटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है तथा आवंटन पश्चात आवंटित भूमि पर रेस्पोडेन्ट लगतार काबिज काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन शर्तो की पालना करने के पश्चात उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चूके है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई लिपिकीय त्रूटिवश रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित खसरा नं0 1948 रकबा 03–08–00 बीघा व खसरा नं0 1937/2025 का रकबा 7–00–00 बीघा का क्रमशः खसरा नम्बर 1946 व 1932/2025 अंकित कर दिया गया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई त्रूटि के कारण रेस्पोडेन्ट के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाना न्याय संगत नहीं है। उन्हौने यह भी अंकित किया है कि विवादित खसरा नम्बर 1948 रकबा 01–07–05 बीघा भूमि जो रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त की गई है, उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा प्राप्त करने का रेस्पोडेन्ट अधिकारी है।

हमने राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित भूमि के खसरा नम्बर एवं रकबे में अन्तर है। आवंटन आदेश अनुसार खसरा नम्बर 1948 में रकबा 03–08–00 बीघा अंकित है, जबकि जमाबन्दी संवत 2027 में

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

11/7/18

जिला कलक्टर
अजमेर

खसरा नम्बर 1948 के स्थान पर 1946 अंकित है। इसी प्रकार रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित खसरा नम्बर 1932/2025 राजस्व मानचित्र अनुसार कोई खसरा नम्बर ही नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1948 रकबा 03–08–00 बीघा में से 1–07–05 बीघा भूमि, अजमेर पुष्कर रेलमार्ग हेतु अवाप्त की जा चुकी है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटित भूमि अन्तर्राष्ट्रीय मेला क्षैत्र में होने के साथ ही कुछ भाग रेल्वे विभाग द्वारा अवाप्त किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 26.9.1971 को किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि का कब्जा राजहित में प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

11/1/18

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर